

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2022

का.आ. 758(अ).—केन्द्रीय सरकार, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना करती है और 18 फरवरी, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त प्राधिकरण प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. एन-52011/1/2021-बीएम अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर]

संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2022

S.O. 758(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Dam Safety Act, 2021 (41 of 2021), the Central Government hereby establishes an Authority to be known as the National Dam Safety Authority to discharge the powers and functions of the National Authority under the said Act, and hereby appoints the 18th February, 2022 as the date on which the said Authority shall come into force.

[F. No. N-52011/1/2021-BM Section-MOWR]

SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.